UPGK010055102026

न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

नियमित जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–2433/2026

1– बब्लू उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र पराग कन्नौजिया, उम्र 52 वर्ष,
निवासी ग्राम–टिकरिया खोर, सहजनवां, जिला गोरखपुर।
2– आदित्य कन्नौजिया पुत्र बब्लू उर्फ धर्मेन्द्र, उम्र 22 वर्ष,
निवासी ग्राम–टिकरिया खोर, सहजनवां, जिला गोरखपुर।

.....आवेदकगण/अभियुक्तगण,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य .....प्रतिपक्षी,

मुकदमा अपराध सं0–269/2026
धारा–115(2),109(1),352,351(3) भा0 न्याय सं0
थाना–सहजनवां, जनपद–गोरखपुर।

आदेश

1. जमानत का यह प्रार्थना–पत्र, आवेदकगण/अभियुक्तगण बब्लू उर्फ धर्मेन्द्र व आदित्य कन्नौजिया के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो मुकदमा अपराध सं0–269/2026, धारा–115(2),109(1),352,351(3) भारतीय न्याय संहिता, थाना सहजनवां, जनपद गोरखपुर के प्रकरण में जिला कारागार में निरुद्ध हैं।

2. मामले के तथ्यों के अनुसार वादी मुकदमा राजेश कन्नौजिया पुत्र सुभाष कन्नौजिया ग्राम– टिकरिया खोर, थाना– सहजनवॉ जनपद गोरखपुर का स्थायी निवासी हूँ, आज दिनॉक 31.05.2026 को रात्रि करीब 09.30 बजे बच्चों के विवाद को लेकर विपक्षीगण राजू कन्नौजिया व बबलू उर्फ धर्मेन्द्र कन्नौजिया पुत्रगण पराग कन्नौजिया, अखण्ड कन्नौजिया, आदित्य कन्नौजिया ने मिलकर लाठी डंडा से जान से मारने के नियत से मेरे पिता के सिर पर मार दिया जिससे वह बेहोश होकर गिर गये मार पीट में मुझे तथा मेरे परिवार की रीता, सोनिका, मोनिका, यशोदा, को भी चोट आयी है। विपक्षीगण जान से मारने की धमकी व गाली गलौज करते हुए चले गये।

3. आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए तर्क दिया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण निर्दोष एवं बेगुनाहगार व्यक्ति हैं।

आवेदकगण/अभियुक्तगण को मुकदमा उपरोक्त में रंजिशवश फंसाया गया हैं। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का कोई विशिष्ट रोल नही दर्शाया गया हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि तथाकथित घटना घटित किये जाने का कोई स्थान नही दर्शाया गया हैं। अभियोजन कथानक को देखते हुए स्पष्ट है कि प्रस्तुत घटना में अभियोजन कथानक के अनुसार किसी तरह के घातक हथियार का प्रयोग नही किया गया है और न ही चोटईल के शरीर पर किसी तरह के कोई गम्भीर चोट ही आयी हैं। वास्तविकता यह है कि वादी मुकदमा व उसके परिवार के लोग प्रार्थीगण के परिवार के सदस्यों को काफी बुरी तरह से मारे पीटे थे, जिसके संबंध में आवेदकगण के तरफ से एक मुकदमा अ0सं0–270/2026 धारा 109, बी०एन०एस० थाना– सहजनवां, जिला गोरखपुर में दर्ज कराया गया जिसमें आवेदकगण/अभियुक्तगण के परिवार वालों को गंभीर चोट आयी। आवेदक बब्लू उर्फ धर्मेन्द्र काफी बीमार व्यक्ति है तथा वर्तमान समय में उसके सर में हुए ब्रेन ट्यूमर का आपरेशन हुआ है और उसकी स्थिति पहले से ही काफी खराब हैं। प्रस्तुत प्रकरण क्रास केस से संबंधित है और इस स्तर पर अग्रेसर कि भूमिका तय हो पाना संभव नही है। इन समस्त आधारों पर आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

4. उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने जमानत प्रार्थना–पत्र का प्रबल विरोध एवं खण्डन करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण के द्वारा अन्य सह अभियुक्तों के साथ एकराय होकर बच्चों के विवाद को लेकर वादी एवं उसके परिवारजन को जान से मारने की नीयत से लाठी डंडा से हमला करके प्राणघातक उपहतियां कारित की गयी हैं। कथित अपराध में आवेदकगण/अभियुक्तगण की सक्रिय भूमिका रही है। अतएव मामले की गम्भीरता एवं आवेदकगण/अभियुक्तगण की कथित अपराध में भूमिका को देखते हुए उनके द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया ।

5. मैंने आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की विद्वतापूर्ण तर्को को विस्तारपूर्वक सुना तथा जमानत पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य सह अभियुक्तों के साथ एकराय होकर बच्चों के विवाद को लेकर वादी एवं उसके परिवारजन को जान से मारने की नीयत से लाठी डंडा से हमला करके प्राणघातक उपहतियां कारित करने का अभिकथन है। अभियोजन प्रपत्रों के साथ संलग्न आघात आख्या में मजरूब सुभाष कन्नौजिया को कुल 05 चोटें आना उल्लिखित है। चोट नं0–2 के सीटी स्कैन हेतुमजरूब को जिला अस्पताल गोरखपुर रेफर किया गया तथा सीटी स्कैन रिपोर्ट में NORMAL SCAN अंकित है। मजरूब राजेश

कन्नौजिया को कुल 02 चोटें आना उल्लिखित है। चोट नं0–1 के एक्सरे हेतु मजरूब को जिला अस्पताल गोरखपुर रेफर किया गया तथा एक्सरे रिपोर्ट में Dislocation of shoulder joint is seen अंकित है। मजरूबा रीता को कुल 07 चोटें आना उल्लिखित है। चोट नं0–7 के USG Whole abd हेतु एवं चोट नं0–6 के एक्सरे हेतु मजरूबा को जिला अस्पताल गोरखपुर रेफर किया गया तथा एक्सरे रिपोर्ट में Fracture of the olecranon process of unla is seen अंकित है। मजरूबा यशोदा को कुल 05 चोटें आना उल्लिखित है। चोट नं0–1 व 4 के सीटी स्कैन एवं एक्सरे हेतु मजरूबा को जिला अस्पताल गोरखपुर रेफर किया गया तथा सीटी स्कैन रिपोर्ट में Fracture of radius and unla is seen अंकित है। मजरूबा सोनिका को कुल 04 चोटें आना उल्लिखित है। चोट नं0–2 व 4 के एक्सरे हेतु मजरूबा को जिला अस्पताल गोरखपुर रेफर किया गया तथा एक्सरे रिपोर्ट में Fracture of the Acromian process of scapula is seen अंकित है। मजरूबा मेनका को कुल 06 चोटें आना उल्लिखित हैं। चोट नं0–6 के एक्सरे हेतु मजरूबा को जिला अस्पताल गोरखपुर रेफर किया गया है। मजरूबगण को आयी सभी चोटें हार्ड एण्ड ब्लंट आब्जेक्ट के द्वारा पहुंचाया जाना उल्लिखित है।जमानत प्रार्थनापत्र के कथनानुसार उक्त मुकदमे का क्रास केश मुकदमा अपराध संख्या 270/2026 अंतर्गत धारा–109 बी०एन०एस० में उपरोक्त थाने में दर्ज होना कहा गया है। इस प्रकार क्रास केस के अभिकथन तथा उभय पक्ष के तर्क को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर यह अवधारित किया जाना समीचीन नहीं है कि घटना में कौन–सा पक्ष अग्रसर अथवा आक्रामक रहा है। मामला अभी विवेचनाधीन है। अभियोजन की ओर से आवेदकगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा आवेदकगण/अभियुक्तगण को काफी दिन से जिला कारागार में निरुद्ध होना कहा गया है।

7. अतएव मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति तथा आवेदकगण/अभियुक्तगण की कथित अपराध में भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण–दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना आवेदकगण/अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. तद्नुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण बब्लू उर्फ धर्मेन्द्र व आदित्य कन्नौजिया प्रत्येक द्वारा मु0–50,000/–(पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा इतनी ही राशि के दो–दो प्रतिभूओं सहित, सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार निष्पादित करने पर, निम्न आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करने पर उन्हें दौरान विचारण नियमित जमानत पर रिहा किया जाये–

1. आवेदकगण/अभियुक्तगण निष्पदित बन्ध–पत्र में वर्णित शर्तों के अनुसार विचारण में सहयोग करेंगे,

2. आवेदकगण/अभियुक्तगण वर्णित अपराध जैसे किसी अपराध में लिप्त नहीं होंगे।

3. आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से भिज्ञ व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके,

4. आवेदकगण/अभियुक्तगण विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे एवं अनावश्यक रूप से स्थगन प्रस्तुत नहीं करेंगे।

5. आवेदकगण/अभियुक्तगण विचारण के दौरान मामले के गवाहों को डरायेंगे, धमकायेंगे नहीं।

किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में आवेदकगण/अभियुक्तगण की जमानत निरस्त करने के लिये विचारण न्यायालय स्वतंत्र होगी।

दिनांकः 11.06.2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O. Code–UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.06.11 16:06:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court